न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 45/2023

अनवान : –

1. रामप्रताप पुत्र भागाराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–असल अप्रार्थी

2. मांगीलाल पुत्र भागाराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।

–तरतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 11/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 146/138 की कुल 16.3150 हैक्ट भूमि में प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 के पिता का नाम भागमल दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 के पिता का वास्तविक व सही नाम मुताबिक दस्तावेज भागाराम है।

राजस्व रिकार्ड में वल्दीयत गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम भागमल के स्थान पर भागाराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता का नाम भागमल के स्थान पर भागाराम दुरूस्त करे देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:30:34 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पिता का नाम भागाराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 के पिता का नाम भागमल दर्ज हो गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही रामप्रताप पुत्र भागाराम एवं मांगीलाल पुत्र भागाराम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 146/138 की कुल 16.3150 हैक्ट भूमि में प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 अपने पिता का नाम भागमल के स्थान पर भागादराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में भागाराम अंकित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 146/138 की कुल 16.3150 हैक्ट भूमि में प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम **रामप्रताप पुत्र भागमल के स्थान पर रामप्रताप पुत्र भागाराम व मांगीलाल पुत्र भागमल के स्थान मांगीलाल पुत्र भागाराम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 के पिता भागमल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 के पिता भागमल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 के पिता का नाम भागमल लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक ...11/03/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:30:34 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

क्रमांक : रीडर / सशोधन / 2023 / 269 दिनांक : 14/03/2024

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 45 / 2023 अनवानी रामप्रतात बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 45 / 2023

अनवान : –

1. रामप्रताप पुत्र भागाराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–असल अप्रार्थी

2. मांगीलाल पुत्र भागाराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।

–तरतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 146 / 138 की कुल 16.3150 हैक्ट भूमि में प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम **रामप्रताप पुत्र भागमल के स्थान पर रामप्रताप पुत्र भागाराम व मांगीलाल पुत्र भागमल के स्थान मांगीलाल पुत्र भागाराम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 के पिता भागमल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 के पिता भागमल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 के पिता का नाम भागमल लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:30:34 IST
Reason: SelfAttested